श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 4/11/अन्वे./पांच/2015/10752-951, इंदौर, दिनांक 1/4/2021

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूं –

माह / वर्ष 2020	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	336.00
अगस्त	338.00
सितम्बर	339.84
अक्टुबर	344.16
नवम्बर	345.31
दिसम्बर	342.14
(औसत)	2045.45÷6=340.90 (341)

अतः विगत छः माही का औसत 341 घोषित करता हूं जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की सगणना एवं पुनरीक्षित दरो के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1–2013–ए–सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्व किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना कमांक 4/11/अन्वे./पांच/2015/... 10752-951 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार, जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत. 341 रहा है। गत छ' माही का औसत 329 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किय गये अखिल भरतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर (341–329.)=12 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से (25X12.)=300.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि (341–241)=100 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X100)=2500.00 प्रतिमाह या (2500÷26)=96 रूपये 15 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात 25 पैसे प्रति हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु. 100 पर (100÷4=25.00) 25.00 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2021 से 30.9.2021 तक देय है।

अनुसूची एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(रू. 25.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 46.40
ब. सुगंधित(सेंटेड)	22.00	.(रू 25.00) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 47.00

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा,यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों सेअधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नही की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नही हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1–ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनों और चिट लगाकर पैकेट बंद करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	20.48	(रू.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रू.40.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रू.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रू.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	27.23	(रू.25.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	52.23
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	36.58	(रू.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	69.58
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	41.54	(रू.40.00) 100 पैसा प्रति 250 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	81.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	43.12	(रू.40.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	83.12
8. 200ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	52.76	(रू. 50.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	102.76

सिलोफेन या जलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	21.34	(रू.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	26.60	(रू25.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	51.60
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	33.00	(रू.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	66.00

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	34.48	(रू.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	67.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	37.03	(रू.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	70.03
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	43.12	(रू.40.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	83.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	51.00	(रू.50.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	101.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	54.47	(रू.50.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	104.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

<u>बिना सिलोफेन या जिलेटन के</u>

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	16.98	(रू.17.00) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	33.98
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	17.80	(रू.17.00) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	34.80
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	21.30	(रू.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.30
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	22.19	(रू.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	42.19

5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	26.60	(रू.25.00.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	51.60
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	28.70	(रू.25.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	53.70

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	3.85	(रू.4.00) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	7.85
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा	4.44	(रू.5.00) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	9.44
3. पुंगली बनाने के कागज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रू.7.00) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	43.34

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
1.04.2021 से 30.09.2021 तक

क.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्ड अप में दैनिक दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1.	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	2500.00	96.15	8439.00	324.57	325.00
2.	टाईपिस्ट,क्लर्क,पेटी भरनेवाला मसाला तौलने वाला	7057.00	271.42	2500.00	96.15	9557.00	367.57	368.00
3.	एकाउटेन्ट,केशियर, गोडाउनकीपर,मिस्त्री, ड्राईवर, पेटीबनाने वाला	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00

नोटः– अगरबत्ती उद्योग से संबंद्व कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड–अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

   इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1–ए)

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी.ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रेल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

.4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर